अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का सांविधिक निकाय)

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070

फोन : 011–29581050, 011–29581000 वेब–साईट : www.aicte-india.org

अनुमोदन प्रक्रिया वर्ष 2021–22 हेतु सार्वजनिक सूचना

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा **शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु** तकनीकी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सभी विद्यमान तथा नई तकनीकी संस्थाओं से अनुमोदन हेतु निम्नलिखित श्रेणियों में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

सभी आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए अभातशिप के वेब–पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन जमा करने से पहले अभातशिप की अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2021–22 तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2020 एवं प्रथम संशोधन विनियम, 2021 का अत्यंत ध्यानपूर्वक तथा सम्पूर्णतः अध्ययन कर लें, जोकि अभातशिप के वेब पोर्टल : @ www.aicte-india.org पर उपलब्ध हैं।

1. नई तकनीकी संस्थाएं

''डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा प्रमाण–पत्र/स्नातकपूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिग्री स्तरों पर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी/आयोजना/अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प/डिजाईन/होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी/एमसीए/प्रबंधन में तकनीकी कार्यक्रम संचालित करने के लिए नई तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने हेतु'' **केवल अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किए गए अनुसार मामलों में ही** आवेदनों को अनुमति दी जाएगी।

अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प/डिजाईन/व्यावसायिक (तकनीकी) कार्यक्रम में पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विद्यमान संस्थाएं/गैर तकनीकी संस्थाएं जो अभातशिप के अनुमोदन के बिना/एमसीए/एमबीए संचालित कर रही हैं तथा अभातशिप से प्रथम बार अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक हैं, वे संस्थाएं, नई तकनीकी संस्थाओं के रूप में आवेदन जमा करेंगी।

- "भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सीए संख्या 364/2005 के मामले में दिनांक 08.11.2019 को पारित किए गए आदेश के अनुपालन में, वास्तुकला कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विद्यमान संस्थाओं को वास्तुकला परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है परंतु **अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है**।
- भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 की ट्रान्सफर पेटिशन (सिविल) संख्या 87–101 के मामले में दिनांक 05.03.2020 को पारित किए गए आदेश के अनुपालन में, भेषजी कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विद्यमान संस्थाओं हेतु भारतीय भेषजी परिषद् (पीसीआई) से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है परंतु **अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं हैं**।
- अभातशिप अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए भी अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य **नहीं** है। तथापि, कुछ विश्वविद्यालय अभातशिप की योजनाओं/पहलों का लाभ प्राप्त करने के लिए अभातशिप की विद्यमान नीतियों/मानदण्डों के अनुसार अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त कर रहे हैं। तदनुसार, इच्छुक वास्तुकला/भेषजी संस्थान अभातशिप के अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि, आवेदन की तिथि को उनके पास वास्तुकला परिषद् (सीओए)/भारतीय भेषजी परिषद् (पीसीआई) का वैध अनुमोदन होना चाहिए"।
- केन्द्रीय/राज्य सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों को ओडीएल तथा ऑनलाइन कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को छोड़कर तकनीकी कार्यक्रमों के लिए अभातशिप का अनुमोदन लेने की आवश्यकता नही है। हालांकि, विश्वविद्यालयों (श्रेणी I, II एवं III) के साथ–साथ प्रतिष्ठित संस्थानों (आई.ओ.ई.) को चुनिंदा तकनीकी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों/प्रवेश क्षमता के लिए अनुमोदन लेने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे विद्यार्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसलिए, इच्छुक केन्द्रीय/राज्य सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों को अभातशिप के मानदंडों को पूरा करने के बाद सभी तकनीकी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों/प्रवेश क्षमता के लिए अभातशिप का अनुमोदन प्राप्त करना होगा, न की चुनिंदा तकनीकी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों/प्रवेश क्षमता हेतु।
- मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं के संदर्भ में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सीए संख्या 17869–17870/2017** के मामले में दिनांक 03–11–2017 को जारी किये गए आदेश के अनुपालन में मानित विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2018–19 से अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। यह पाया गया है कि कुछ मानित **विश्वविद्यालयों ने (श्रेणी I एवं II सहित), साथ ही कुछ प्रतिष्ठित सस्थानों (आई.ओ.ई.) ने अभी तक अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है अथवा कुछ चयनित तकनीकी कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों)/प्रवेशक्षमता के लिए ही आंशिक अनुमोदन प्राप्त किया है।** अतः ऐसे मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं (श्रेणी I एवं II सहित) जिन्होंने अभातशिप से अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है उन्हें निदेश दिया जाता है कि वह अभातशिप से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई भी तकनीकी कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों) संचालित न करें।

टिप्पणी : किसी भी कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों)/प्रवेशक्षमता के लिए आंशिक अनुमोदन हेतु आवेदनों के लिए किसी भी स्तर पर अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि यह पाया गया कि कोई विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय संस्था ऐसा किसी भी प्रकार का आंशिक अनुमोदन प्राप्त कर रहे हैं तो वे दाण्डिक कार्रवाई हेतु दायी होंगे।

2. विद्यमान तकनीकी संस्थाएं

- इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी/आयोजना/अनुप्रयुक्त कला और शिल्प/डिजाइन/होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी/एमसीए/प्रबंधन में डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा प्रमाणपत्र/स्नातक पूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर विश्वविद्यालयों/बोर्ड से संबद्ध तकनीकी कार्यक्रम संचालित कर रही विद्यमान तकनीकी संस्थाओं से अथवा स्टैण्डअलोन संस्थाओं से निम्न के आवेदन हेतु :–
- स्व–प्रकटीकरण के आधार पर अनुमोदन का विस्तार
- अनिवासी भारतीय(यों) (एनआरआई) के लिए सीटें आरंभ करना/जारी रखना
- स्थान/स्थिति में परिवर्तन
- डिप्लोमा स्तर का डिग्री स्तर में परिवर्तन तथा इसके विपर्यय
- विद्यमान संस्थाओं में नए कार्यक्रम/स्तर को आरम्भ करना
- एक ही न्यास/सोसायटी/कंपनी द्वारा एक ही परिसर अथवा शहर में चलाई जा रही संस्थाओं का विलय करना
- विद्यमान संस्थाओं में जिन्हें पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष(र्षों) में रोक के उपरांत अनुमोदन का विस्तार (ईओए) जारी करना/प्रवेश–क्षमता को बहाल करना (रिस्टोरेशन)
- विदेशी राष्ट्रिक (एफ.एन.)/ओसीआई/खाड़ी देशों मे कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चों हेतु अधिसंख्य सीटों को आरंभ करना/जारी रखना
- महिला संस्था का सह–शिक्षण संस्था में परिवर्तन तथा इसके विपर्यय
- प्रवेश–क्षमता/अतिरिक्त पाठ्यक्रम (मों) में वृद्धि
- एकीकृत/दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ करना
- संस्था को बंद करना
- प्रबंधन में अध्येता (फेलो) कार्यक्रम आरंभ करना/जारी रखना
- पाठ्यक्रम (मों) के नाम में परिवर्तन/पाठ्यक्रमों का विलय करना/प्रवेश–क्षमता में कमी/कार्यक्रम (मों)/पाठ्यक्रम (मों) को बंद करना
- संस्था अथवा संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड के नाम में परिवर्तन अथवा संस्था(ओं) के प्रकार में परिवर्तन (संस्थान को विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना)
- संस्था की अल्पसंख्यक स्थिति में परिवर्तन
- बैंक के नाम में परिवर्तन
- न्यास/सोसायटी/कम्पनी के नाम में परिवर्तन
- अनुमोदन में विस्तार (ईओए) को आगे बढ़ाना
- तकनीकी शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के बीच सहयोग एवं ट्विनिंग कार्यक्रम
- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरम्भ करना
- डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री स्तर पर तकनीकी कार्यक्रम चलाने वाली तथा बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त विद्यमान संस्थाओं से राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढ़ाँचा (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा के डिप्लोमा/डिग्री कार्यक्रम(ओं) को आरंभ करने/जारी रखने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन।

टिप्पणी : परिषद् द्वारा अनुमोदित तकनीकी कार्यक्रम संचालित करने वाली मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं से जो श्रेणी I एवं II (जैसाकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा घोषित) के अंतर्गत आती हैं, उन्हें परिषद् को उभरते हुए/बहुविषयक विषयक्षेत्रों में पाठ्यक्रम/नए पाठ्यक्रम (मों) की प्रवेशक्षमता में वृद्धि हेतु विनिर्दिष्ट करते हुए आवेदन करना होगा। परिषद् उन कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान करेगी। तथापि, ऐसे विश्वविद्यालयों को वार्षिक आधार पर अभातशिप के वेब–पोर्टल में डेटा को अपडेट करना ओगा और परिषद् द्वारा समय–समय पर जारी विनिर्दिष्ट मानदंडों एवं मानकों का पालन करना होगा।

ऐसी मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं जिन्हें शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है, को वार्षिक

आधार पर परिषद् के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना होगा तथा अभातशिप द्वारा समय–समय पर जारी निर्दिष्ट मानदंडों एवं मानकों का पालन करना होगा।

3. **मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण और/अथवा ऑनलाइन शिक्षण रीति से पाठ्यक्रम :**
   मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा रीति और/अथवा ऑनलाइन शिक्षण रीति से पाठ्यक्रम आरंभ करने/जारी रखने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक, स्टैण्डअलोन संस्थानों/मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से आवेदन।

4. **सत्र 2021–22 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया दिनांक 09 मार्च, 2021 से आरंभ होगी तथा 03 अप्रैल, 2021 को बंद होगी। केवल विद्यमान संस्थाओं को स्व–प्रकटन (Self-disclosure) आधार पर अनुमोदन में विस्तार हेतु ऑनलाइन आवेदन जुर्माने सहित जमा करने के लिए दिनांक 08 अप्रैल, 2021 तक अनुमति दी जाएगी। यह नोट कर लिया जाए कि किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि को नहीं बढ़ाया जाएगा।**

टिप्पणी :– सभी संस्थाओं से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी सामान्य अधिसूचनाओं, अद्यतन सूचना तथा अनुमोदन प्रक्रिया 2021–22 के लिए आधिकारिक संवाद के लिए नियमित आधार पर अभातशिप की वेबसाईट @ "www.aicte-india.org >Home>Quick link: Approval Process 2021-22" देखें। संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत तौर पर कोई अन्य संवाद नहीं किया जाएगा।

अभातशिप द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2021 को प्रातः 11 बजे अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2021–22 में हुए परिवर्तनों से अवगत कराते हुए ऑनलाइन हितधारक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक हितधारक उस में भाग ले सकते हैं।

प्रो० राजीव कुमार
सदस्य सचिव, अभातशिप

विज्ञापन सं. : अनुमोदन ब्यूरो/2021